

प्रेस नोट

18.02.2021

अवैध तमंचा व कारतूस के साथ एक शातिर गिरफ्तार—

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री सुशील घुले के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 18.02.2021 को थाना **सरायलखंसी** पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान अछार चट्टी के पास से जितेन्द्र चौहान पुत्र रामसरिख चौहान निवासी ठकुरमनपुर थाना सरायलखंसी जनपद मऊ के कब्जे से एक अवैध तमंचा व एक अदद जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद कर गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में उक्त अभियुक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 67/21 धारा 3/25 आयुध अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।

शांति भंग की आशंका में 22 गिरफ्तार—

आज दिनांक 18.02.2021 को जनपद के विभिन्न थानों द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान थाना **दक्षिणटोला** पुलिस द्वारा अरूण राय, अर्पण राय निवासीगण रैनी थाना दक्षिणटोला, थाना **घोसी** पुलिस द्वारा मुलायम यादव निवासी खानपुर थाना घोसी, थाना **हलधरपुर** पुलिस द्वारा बब्बन चौहान, लूटन चौहान निवासीगण छिछोर, अच्छेलाल निवासी भूडसुडी, मंगल, मूकेश निवासीगण मडैली बड़हरपुर थाना हलधरपुर, थाना **कोतवाली** पुलिस द्वारा एजाज निवासी क्यारीटोला थाना कोतवाली, थाना **रानीपुर** पुलिस द्वारा दिनेश राजभर निवासी खीरीया थाना रानीपुर, थाना **सरायलखंसी** पुलिस द्वारा विनोद यादव निवासी काझा खुर्द, अंगद चौहान, प्रदीप निवासीगण ठकुरमपुर थाना सरायलखंसी, प्रेमचन्द्र मौर्या निवासी बख्तावरगंज थाना दक्षिणटोला, थाना **मधुबन** पुलिस द्वारा जितेन्द्र कुमार, रामाकान्त निवासीगण सीसवा थानी, प्रभुनाथ, राजकुमार, रामानन्द निवासीगण बन्धनपुर, रामाश्रे निवासी तालपताछ, अमरजीत निवासी भैरोपुर, बबलू निवासी जजौली थाना मधुबन जनपद मऊ को अन्तर्गत धारा 151 सीआरपीसी गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री सुशील घुले के निर्देशन में पुलिस कार्यालय स्थित मॉनिटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के उपरांत आज दिनांक 18.02.2021 को माननीय विशेष न्यायधीश पोक्सों एक्ट जनपद मऊ द्वारा थाना हलधरपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 475/14 धारा 363,366,376,120बी भादवि0 व 4 पोक्सों एक्ट में अभियुक्त रवि राजभर पुत्र टुनटुन राजभर निवासी नवलपुर रतोही थाना हलधरपुर जनपद मऊ को 10 वर्ष कारावास व 28 हजार रुपये अर्थदण्ड तथा टुनटुन राजभर पुत्र रामरतन राजभर निवासी नवलपुर रतोही थाना हलधरपुर जनपद मऊ को 05 वर्ष की कारावास व 13 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।